रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122025-268615
CG-DL-E-19122025-268615

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5642] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 17, 2025/अग्रहायण 26, 1947
No. 5642] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 17, 2025/AGRAHAYANA 26, 1947

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5837(अ).— केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1.(1)इस आदेश का नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) तेरहवाँ संशोधन आदेश, 2025 है।

(2) यह अपने राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. उर्वरक अकार्बनिक), कार्बनिक या मिश्रितआदेश (नियंत्रण) (, 1985 (इसमें इसके पश्चात्

उक्त आदेश के रूप में संदर्भित किया गया है) के खंड 38 में,—

(i) उप-खंड 1 को उसका उप-खंड (1) पुनः संख्यांकित किया जाएगा;

(ii) इस प्रकार संख्यांकित उप-खंड (1) में, “दस” शब्द के स्थान पर “चौदह” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) उप-खंड (4) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं.2-2/2024 उर्वरक विधि]

फ्रैंकलिन एल खोबंग, संयुक्त सचिव

टिप्पण :-मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, धारा 3, उप) धारा-ii) में सा.का.नि. संख्या 758 (अ), तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा प्रकाशित किया गया था और संख्या का.आ.5575 (अ), तारीख 3 दिसंबर, 2025 द्वारा उसे अंतिम बार संशोधित किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department Of Agriculture And Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 16th December, 2025

S.O. 5837(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order,1985, namely:-

1. This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Thirteen Amendment Order, 2025

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette

2. In the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, (hereinafter referred to as the said Order), in the clause 38,-

(i) in sub-clause 1 shall be renumbered as sub-clause “(1)” thereof;

(ii) in sub-clause (1) as so numbered, for the word “ten” the word “fourteen “ shall be substituted;

(iii) sub-clause (4) shall be omitted.

[F. No. 2-2/2024 Fert Law]

FRANKLIN L. KHOBUNG, Jt. Secy.

Note:-*The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section3, Sub-section (ii) vide G.S.R number 758 (E) dated the 25th September,1985 and was last amended, vide number SO 5575(E) dated, 3rd December,2025*

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5838(अ).— केंद्रीय सरकार,उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 38 के उप-खंड (1) के अनुसरण में और भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.नि. 5415 (अ), तारीख 22 दिसंबर, 2023 का अधिक्रमण करते हुए, निम्नलिखित सदस्यों वाली केंद्रीय उर्वरक समिति का गठन करती है, अर्थात् :-

1	कृषि आयुक्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	अध्यक्ष;
2	संयुक्त सचिव, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन	सदस्य;
3	उप महानिदेशक, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	सदस्य;
4	संयुक्तसचिव, उर्वरक विभाग	सदस्य;
5	व्यापार सलाहकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य;

6	हेड, सूक्ष्मजीवविज्ञान विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	सदस्य;
7	महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण गृह या उनका प्रतिनिधि	सदस्य;
8	जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नैनो वैज्ञानिक	सदस्य;
9	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि	सदस्य;
10	निदेशक,केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य;
11	निदेशक, राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र	सदस्य;
12	कृषि निदेशक, उत्तरप्रदेश	सदस्य;
13	कृषि निदेशक, आंध्रप्रदेश	सदस्य;
14	महानिदेशक फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया	सदस्य;
15	उपसचिव, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	संयोजक सदस्य।

2. समिति का कार्यकाल इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पाँच वर्ष का होगा।

3. बैठक में गणपूर्ति पूरा करने के लिए अध्यक्ष सहित कम-से-कम आठ सदस्य उपस्थित रहेंगे।

4. समिति की बैठक में भाग लेने वाले समिति के सदस्य निम्नलिखित दरों से यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे, अर्थात् :-

(i) समिति का कोई शासकीय सदस्य उस सेवा के लिए लागू दरों से यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा; जिससे वह संबंधित है;

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा समय यात्रा य पर जारी आदेशों के अनुसार गैर सरकारी सदस्यसम- भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

5. केन्द्र सरकार द्वारा आदेश समिति को आदेश के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए यथा आवश्यक स्टाफ सदस्यों को उपलब्ध कराया जाएगा।

आदेश के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु समिति यथावश्यक कर्मचारिवृंद के ऐसे सदस्यों को केन्द्र सरकार द्वारा उपबंधित करेगी ।

[फा. सं.2-2/2024 उर्वरक विधि]

फ्रैंकलिन एल खोबंग, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2025

S.O. 5838(E).— In pursuance of sub-clause (1) of clause 38 of the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order,1985, and in supersession of the notification of Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare number S.O. No. 5415 (E), dated the 22nd December, 2023, the Central Government hereby constitutes the Central Fertiliser Committee consisting of the following members, namely:-

1	Agriculture Commissioner, DA&FW	Chairman;
2	Joint Secretary, INM	Member;
3	DDG, NRM, ICAR	Member;
4	Joint Secretary, DoF	Member;
5	Advisor, Trade, DA&FW	Member;

6	Head Microbiology, IARI	Member;
7	DG, NTH or his representative	Member;
8	Nano Scientist from Department of Bio-technology	Member;
9	Representative, TNAU	Member;
10	Director, CFQCTI	Member;
11	Director, NCONF	Member;
12	Director, Agriculture, Uttar Pradesh	Member;
13	Director, Agriculture, Andhra Pradesh	Member;
14	DG, Fertilizer Association of India	Member;
15	DS, INM, DA&FW	Member- Convener.

2. The term of the office of the Committee shall be five years from the date of publication of this notification in the official Gazette.

3. At least eight members including chairman shall be present to fulfill the quorum in the meeting.

4. The members of the Committee shall be entitled to draw travelling and daily allowances at the rate specified below while attending the meeting of the Committee, namely:-

(i) an official member of the Committee shall be entitled to draw traveling and daily allowances at the rate applicable to the service to which he belongs;

(ii) a non-official member shall be entitled to draw travelling and daily allowances in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

5. The committee shall be provided with such members of staff, as may be necessary, by the Central Government for carrying out its functions under the Order.

[F. No. 2-2/2024 Fert Law]

FRANKLIN L. KHOBUNG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.12.19 10:00:37 +05'30'